

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

● उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
3. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. श्री संजय प्रियदर्शी, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
5. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
6. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
7. श्री हीरामुनी प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर।
8. श्री भानू प्रकाश, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
9. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
10. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
11. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
12. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र, मुंगेर।
13. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
14. श्री अनिल राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
15. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
16. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
17. गुलाम मोहम्मद, सहा0 निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
18. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
19. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

● अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

20. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर
21. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।

सरकार की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकताधारित योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :-

1. SECC :- चूँकि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें किसी भी स्तर से लापरवाही किया जाना उचित नहीं है, अतः उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर संयुक्त रूप से प्रारूप प्रकाशन, दावा/आपत्ति प्राप्ति की तिथि, प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन, अपील सुनवाई की तिथि एवं अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि पुनर्निर्धारित कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एक दो दिनों प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर यह सुनिश्चित कराएँगे कि दिनांक 13.12.13 को निर्धारित विकास समन्वय समिति की बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को SECC से संबंधित सभी प्रपत्र उपलब्ध करा दिए जाएँ एवं इस तिथि को ही अन्य आवश्यक निदेश भी दे दिया जाएँ।
3. चूँकि प्रखंड/अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी (Mentor) को ही SECC अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अपीलों की सुनवाई हेतु अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है। इस हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान SECC के कार्यों की विशेष समीक्षा करने का निदेश संबंधित अपीलीय पदाधिकारियों को दिया गया।
4. पंचायत चुनाव, 2013 :- मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंडान्तर्गत बांक पंचायत में मुखिया, सदर प्रखंडान्तर्गत कटरिया पंचायत में सरपंच, तारापुर प्रखंडान्तर्गत तारापुर दियारा पंचायत में सरपंच एवं टेटियाबंबर प्रखंडान्तर्गत केसौली पंचायत में सरपंच तथा सभी प्रखंडों में वार्ड मेम्बर/पंच का चुनाव दिनांक 12.01.2013 को होना है तथा मतगणना की तिथि दिनांक 13.01.2013 निर्धारित किया गया है।

इसी परिपेक्ष्य में नोडल पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया गया कि प्रखंड स्तर पर किए जाने वाले सभी निर्वाचन कार्यों की समीक्षा अवश्य कर लेंगे।

5. नगर निकाय चुनाव, 2013:- मुंगेर नगर निगम में पड़ने वाले वार्ड नं०-24 का चुनाव दिनांक 29.12.2013 को 03 मतदान केन्द्रों पर होना है जिसमें 07 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। उक्त चुनाव में कम-से-कम 06 ई0वी0एम0 की आवश्यकता होगी। मतगणना की तिथि दिनांक 30.12.2013 निर्धारित किया गया है। इस हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर, उप विकास आयुक्त, मुंगेर-सह-निर्वाची पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से सभी तैयारियाँ ससमय निश्चित रूप से पूर्ण कर लेंगे।
6. RTPS :- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने का मूल उद्देश्य आमजनों को सुगम व्यवस्था के तहत सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है, परन्तु मूल उद्देश्य को मूर्त रूप देने में बिचौलियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाना चिंताजनक है। अतः नोडल पदाधिकारी (Mentor) को निम्न निदेश दिए जाते हैं :-
  - वरीय पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
  - जमालपुर, टेटियाबंजर, तारापुर प्रखंडों से दाखिल-खारिज, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के मामले सर्वाधिक लंबित प्रतिवेदित हैं। अतः विशेष समीक्षा के मद्देनजर नोडल पदाधिकारी (Mentor) निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता अपील प्रार्थिकार के रूप में स्वयंमेव कार्रवाई प्रारंभ करते हुए विलंब के लिए जबाबदेह पदाधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे।
  - प्रखंड/अंचल में कार्यरत प्रखंड सूचना प्रावैधिकी (BIT) एवं कार्यपालक सहायक (Executive Assistant) की बैठक दिसम्बर माह में आयोजित करने का निदेश आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को दिया गया।
  - यह शिकायत प्राप्त हुई है कि BIT एवं Ex.Asst. के साथ प्रखंड/अंचल का कोई कर्मी प्रतिनियुक्त नहीं रहने के कारण आवेदनों के निष्पादन में अत्यधिक समय लगता है। उक्त तथ्यों की जाँच भी नोडल पदाधिकारी (Mentor) क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवश्य करेंगे।
  - आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करेंगे तथा बैकलॉग सुधारने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

पूर्व साप्ताहिक बैठकों में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिए गए जिसका सारांश निम्न है :-

7. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक/मनरेगा भवन इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. पूर्व बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में सहायक निदेशक सामाजिक, सुरक्षा, मुंगेर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम एवं सभी प्रकार की गतिविधियों की वास्तविक समीक्षा करने हेतु सभी प्रखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर संभावित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराएँगे। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन हरहाल में किया जाए तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह विशेष समीक्षा की जाए कि किन पंचायत सचिवों के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि समायोजन हेतु अभी भी लंबित है। तत्पश्चात् उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

9. यह सर्वविदित है कि दाखिल-खारिज मामलों के अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता होते हैं, परन्तु किसी भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा कालबाधित (Time Bond) आवेदन पत्रों के मामले में दण्ड स्वरूप कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है। अतएव निदेश दिया गया कि कालबाधित (Time Bond) दाखिल-खारिज आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए RTPS प्रावधानानुसार दण्ड अधिरोपित करने की कार्रवाई करेंगे।
10. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन अन्तर्गत विभागीय प्रपत्र-2 (रैयत का स्वघोषणा), प्रपत्र-3 (राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र-4 (वैसे रैयत जिनके जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है), की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) एवं अन्य टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।
11. कबीर अन्वेषित योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्रखंडों को उपावंटित राशि के विरुद्ध वितरण की स्थिति की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) सुनिश्चित करेंगे।
12. निर्वाचन कार्यों में सर्वाधिक कम अथवा शून्य प्रगति प्रतिशतता अर्जित करने वाले विधान सभावार कम-से-कम तीन-तीन बी0एल0ओ0 के नाम सहित कृत कार्रवाई संबंधी आंकड़ों का प्रतिवेदन सहायक निर्वाची पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे ताकि उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके।
13. मतदाता सूची का पुनरीक्षण, Graduate Constituency का Draft Roll प्रकाशन, BLO's की अद्यतन सूची इत्यादि निर्वाचन कार्यों का अनुश्रवण प्रखंड स्तर पर वरीय पदाधिकारी (Mentor) नियमित रूप से करेंगे।
14. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/ सामाजिक सुरक्षा पेंशन/BRGF, 13वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, एकीकृत कार्य योजना (IAP), आपकी सरकार आपके द्वार इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायेँ ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
15. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएँगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँगे। परन्तु इसका शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-


- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवामें वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्त के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या के आधार पर संकलित करवाकर उपलब्ध करवाना।
- जैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभियों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
- बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/ स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई कर प्रतिवेदन देना।

16. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।

17. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना एवं आपदा के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।




(जरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक...2472.../गो0, दिनांक...10-12-13


प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर/खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक...2472.../गो0, दिनांक...10-12-13

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।